अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 133 / 2013

सुरेश पंडित एवं अन्य–अपीलार्थीगण

वनाम

सकलदेव पंडित एवं बिहार सरकार–रेस्पोण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

26.11.2014

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशनुगंज के आदेश दिनांक 19.12.2012 भूमि विवाद वाद संख्या–185 / 12–13 के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा दाखिल किया है। उक्त वाद में सकलदेव पंडित आवेदक थे।

(2) अपीलकर्त्ता के अपील वाद में कथन है कि विवादग्रस्त भूमि मौजा–लौआलगान, थाना स0–92, खाता संख्या–24, खेसरा सख्या–1791, रकवा–22 डि0 थाना–चौसा, जिला–मधेपुरा के लिए दाखिल किया गया था। अपीलकर्त्ता का कथन है कि एतवारी पंडित हमलोगों के पूर्वज थे एवं एतवारी पंडित के अपने चार लड़के हुए, जिसमें दो लड़के नाबल्द स्वर्गीय हो गये और बचे हुए लड़के अधीन पंडित को दो पत्नी जयमंती देवी और सोहागिया देवी हुई और जयमंती देवी को एक लड़का बैजनाथ पंडित हुए। स्व0 बैजनाथ पंडित की पत्नी माया देवी एवं तीन लड़के अपीलकर्त्ता हुए तथा एतवारी पंडित के दूसरे लड़के भोथर पंडित हुए और भोथर पंडित के लड़के शकलदेव पंडित हुए जो प्रस्तुत अपील वाद में विपक्षी संख्या–02 है। आगे उनका कथन है कि विवादग्रस्त खेसरा का रकवा एक एकड़ 32 डि0 है और उसका बटवारा एतवारी पंडित के वारिसानों में हो गया एवं अधीन पंडित को 33 डि0 भूमि रकवा एक एकड़ 32 डि0 में मिली एवं एतवारी के अन्य तीन लड़के को अलग–अलग 33 डि0 भूमि मिला। उसके बाद उनका कहना है कि अधीन पंडित की दूसरी पत्नी सोहागिया देवी 33 डि0 भूमि बिक्री सुखदेव पंडित को कर दी एवं अपीलकर्त्ता का कहना है कि सोहागिया देवी को बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद अपीलकर्त्ता का कहना है कि अधीन पंडित के सम्पति में बैजनाथ पंडित और बोधी पंडित को हक अधिकार 16½ डि0 करके हुआ और बोधी पंडित का 16½ डि0 पर हक दखल रहता आया। खरीददार सकलदेव पंडित को कभी हक दखल नही हुआ और इसके पूर्व

सकलदेव पंडित ने भूमि विवाद वाद संख्या–14/12–23 दाखिल किया और फिर वाद में विपक्षी संख्या–02 ने एक दूसरा वाद भूमि निराकरण वाद संख्या–185/2012 दाखिल किया और अपीलकर्त्ता का यह कथन है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा सही से वाद को नहीं देखा गया और यह भी दावा किया कि सोहागिया देवी द्वारा बिक्री बिल्कुल अवैध है और निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल गलत है।

विपक्षी संख्या–02 जो निम्न न्यायालय में आवेदक थे, उनका दावा है कि मौजा–लौआलगान, खाता संख्या–24, खेसरा–69 में 04 कट्ठा भूमि पर वाद दाखिल किया है एवं उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें मसो0 सोहागिया देवी, पति–स्व0 अधीन पंडित वजरिया केवाला संख्या–6986 दिनांक 21.12.2000 को खरीद किया, जिसका जमाबंदी उसके नाम से सृजित हुआ एवं मालगुजारी रसीद उन्हें प्राप्त है तथा उन्होने दावा किया कि उनकी अनुपस्थिति में झोपड़ी दूसरे स्थान से लाकर खड़ा कर दिया एवं उनका दावा है कि प्रश्नगत भूमि से झोपड़ी हटाकर दखल दिया जाय।

प्रस्तुत वाद अपीलवाद में एतवारी पंडित के दो लड़के नाबल्द स्वर्गीय हो गये। इसे दोनों पक्ष मानते है एवं दोनों पक्ष यह भी मानते है कि अधीन पंडित को दो पत्नी थी तथा यह भी दोनों पक्ष मानते है कि सोहागिया देवी अधीन पंडित की पत्नी थी तथा खेसरा संख्या–1971 का रकवा एक एकड़ 32 डि0 है। ऐसी परिस्थिति में अधीन का हिस्सा आधा होता है और अधीन की दो पत्नी है, जिसमें एक पत्नी चार कट्ठा भूमि बिक्री की है, उसी की माँग विपक्षी संख्या–02 ने किया था। दोनों पक्षों के द्वारा कागजात दाखिल किये गये है, जिसमें मुकदमा संख्या–185/12–13 का आदेश दिनांक 15.12.2012 को दिया गया है एवं वाद संख्या–14/12–13 का भी आदेश फलक दाखिल किया गया है एवं हाल सर्वे खतियान दाखिल किया गया है, जो खाता संख्या–24, खेसरा संख्या–1791 रकवा–01 एकड़ 32 डि0 साथ अन्य जमीन के दर्ज है। जिसका हाल सर्वे में खाता अधीन पंडित, मिश्री पंडित, गोकुल पंडित तथा मथुरी पंडित, पिता–एतवारी पंडित अंश समान दर्ज है तथा तीसरा कागज धारा–144 विविध वाद संख्या–601/2001 का आदेश 20.10.2001 का दाखिल किया गया है, जिसमें भूमि विवाद का विषय है, जिसमें सुरेश पंडित के पक्ष मे आदेश हुआ है और 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश केवल 60 (साठ) दिनों के लिए होता है, इससे किसी को स्वत्व एवं अधिकार का निर्धारण नहीं होता है एवं एक रसीद वर्ष 2013–14 का 83 डि0 का दाखिल किया गया है, जिसमें कोई खाता–खेसरा दर्ज नहीं है एवं एक केवाला माया देवी के द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में तामिल और रजिस्ट्री किया हुआ दिनांक 18.02.2000 का निश्वत 03 कट्ठा भूमि का दाखिल है। वाद सं0–14/12–13 खारीज हो गया, जिसमें भूमि का विवरण प्रश्नगत वाद 185/12–13 से भिन्न है।

प्रतिपक्षी संख्या–02 के द्वारा असल केवाला मुकदमे तारीख 21.12.2000 मसो0 सोहागिया देवी बनाम सकलदेव पंडित निश्वत 07 कट्ठा 13 धूर भूमि तथा मालगुजारी रसीद नाम से सकलदेव पंडित 33½ डि0 तथा मालगुजारी रसीद नाम से सकलदेव पंडित वर्ष 2012–13 रकवा 22 डि0 और दूसरी रसीद भी 22 डि0 का एवं बोधी पंडित, पिता–अधीन पंडित का शपथ पत्र जिसमें बोधी पंडित जो अधीन पंडित की दूसरी पत्नी सोहागिया देवी थी, उनके पुत्र द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा कहा गया है कि खाता संख्या–24, खेसरा संख्या–1791 का रकवा 33 डि0 मेरी माँ के परवरिस में दिया गया था एवं एक पंचनामा भी दिनांक 15.10.2012 का दाखिल किया गया है, जो ग्राम कचहरी के सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुहर में है तथा केवाला संख्या–5998 वर्ष 1985 का अधीन पंडित जो अपने पोते सुरेश पंडित, सुरेन्द्र पंडित, उदेश पंडित, पिता–बैजनाथ पंडित के पक्ष में 16कट्ठा जमीन का केवाला किया गया है और दूसरा दान पत्र अधीन पंडित एवं मिश्री पंडित के द्वारा सुरेश पंडित एवं अन्य के पक्ष में दिये गये भूमि 08 कट्ठा का किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा प्रश्नगत भूमि का

खतियान देखने से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि खाता नं0–24, Plot No.–1791, रकवा–1.32 एकड़ के चार बराबर हिस्सेदार अधीन पंडित, मिश्री पंडित, गोकूल पंडित तथा मधुरी पंडित, सभी के पिता एतवारी पंडित है तथा प्रत्येक का हिस्सा 33 डि0 भूमि होता है। अधीन पंडित के दो पत्नी, जयन्ती देवी एवं सहोगिया देवी थी। द्वितीय पक्ष सहोगिया देवी के पति बिन्दी पंडित के पुत्र है, जिनका केवाला 21.12.2000 का है जबकि प्रथम पक्ष का केवाला उसी भूमि का 18.12.2000 का है। प्रश्नगत भूमि के क्रेतागण के नाम जो जमाबंदी कायम है तथा इसके रद्दीकरण के लिए सक्षम न्यायालय अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है तो इसकी समीक्षा कर भूमि का सीमांकन कर वाद का निपटारा कराने हेतु अभिलेख निम्न न्यायालय को उनके आदेश का आंशिक संशोधन के साथ वापस (Remand) किया जाता है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख को लौटाते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

26.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा